



झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद

343

नगर प्रशासन भवन, एच0 ई0 सी0, धुर्वा, राँची

दूरभाष : (0651) 2400851, 2400852, फ़ैक्स : 0651-2400850

अधि0 सं0:- B-06

राँची, दिनांक:- 15/6/15

अधिसूचना

पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या बी-15, दिनांक 10.05.2014 को संशोधित करते हुए, Red Orange एवं Green Category के इकाइयों को पर्वद द्वारा 05, 10 एवं 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निम्नवत निर्गत किए जाएंगे :-

- 1) Red Category of Industry :- सभी Red Category के इकाइयों को पाँच वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किए जाएंगे । इन इकाइयों का निरीक्षण सामान्यतया 02 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।
- 2) Orange Category of Industry :- सभी Orange Category के इकाइयों को दस वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किए जाएंगे ।
 - a) Orange Category में low risk इकाइयों को सहमति आदेश Self Certification के आधार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 5 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।
 - b) Orange Category में High risk इकाइयों को सहमति आदेश (Consent to Operate) third party inspection के आधार पर निर्गत किया जाएगा तथा इनका निरीक्षण सामान्यतया 3 वर्षों के अंतराल पर किया जाएगा ।

3) Green Category of Industry :- सभी Green Category की इकाईयों को परषद द्वारा Self Certification के आधार पर 15 वर्षों के लिए सहमति आदेश (Consent to Operate) निर्गत किया जाएगा तथा इन इकाईयों का निरीक्षण परषद द्वारा पूरी सहमति की अवधि में सामान्यतया एक बार किया जाएगा ।

निरीक्षण के आधार पर शर्तों के उल्लंघन पाये जाने की स्थिति में सहमति पत्र की वैधता समाप्त की जा सकेगी ।

ह0/-
(संजय कुमार सुमन)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक B-1968

राँची, दिनांक 15/6/15

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखण्ड सरकार राँची / सचिव उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची / सचिव खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची / निदेशक उद्योग, झारखण्ड सरकार, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

ह0/-
(संजय कुमार सुमन)
सदस्य सचिव

ज्ञापांक B-1968

राँची, दिनांक 15/6/15

प्रतिलिपि :- सभी क्षेत्रीय पदाधिकारी / परषद विश्लेषक / सभी पदाधिकारियों, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परषद / परषद सूचना पट्ट / परषद website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित ।

(संजय कुमार सुमन)
सदस्य सचिव